न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/574

मिसल नम्बर– 63 / 2023

1.रामकिशन शर्मा आयु 83 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मेला बसस्टेन्ड कैथून जिला कोटा।

प्रार्थीया।

बनाम

1.श्रीमती ममता पान्डे आयु 56 वर्ष बेवा अनिल कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टेन्ड कैथून जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री ब्रह्मानंद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री चन्द्रमोहन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक सभ्य एवं शांतिप्रिय व्यक्ति है, अप्रार्थीया प्रार्थी की पुत्र वधू है। प्रार्थी सीनियर सिटीजन है तथा वयोवृद्ध है। प्रार्थी व अप्रार्थीया एक ही मकान में निवास करते रहे है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान तीन मंजिला जिसमें दो दुकाने व गैलरी व फ्स्ट फ्लोर व द्वितीय फ्लोर पर रिहायशी मकान बना हुआ है। उक्त मकान भूखण्ड संख्या 91 व 92 मैला बस स्टेन्ड सांगोद रोड कैथून जिला कोटा में स्थित है। उक्त मकान की कुल पैमाईश 30 × 25 कुल 750 वर्गफुट है। जिसमें से भूखण्ड संख्या 91 व 92 कुल 600 वर्गफीट प्रार्थी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सिराज अहमद आत्मज कालू बून्दी वाला निवासी केथून से खरीद किया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक कोटा में दिनांक 27.06.1989 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 479, क्रम संख्या 1694, पृष्ठ संख्या 113 से 114 पर पंजीबद्ध हो रहा है। उक्त भूखण्ड़ो को श्री सिराज अहमद ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री अब्दुल कादर वल्द अब्दुल रहमान निवासी कैथुन जिला कोटा से खरीद किया था, जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपजीयक कोटा में दिनांक 26.06.1989 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 479, क्रम संख्या 1689 पृष्ठ संख्या 103 से 104 पर पंजीबद्ध हो रहा है। उक्त भूखण्डो को अब्दुल कोन्टेक्ट द्वारा नीलामी में क्रय करने के पश्चात एक प्रमाण पत्र विक्रय चम्बल परियोजिना आबादी विकास द्वारा आवंटन अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से जारी हो रहा है। उक्त दोनो भूखण्डों के आगे की भूमि 30 फूट × 5 फूट को प्रथम पक्षकार ने ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पंचायत कैथून से खरीद किया था। इस प्रकार उक्त भूखण्डो एव आगे की क्रय शुदा भूमिं को प्रार्थी ने खरीद करके इसपर तीन मंजिला मकान का निर्माण करवाया है, जिसपर मकान व बरामदा बनाने की स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र नगर केथुन , जिला कोटा द्वारा क्रमांक 1644 दिनांक 17.02.1989 को प्रार्थी के पक्ष में जारी हो रहा है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण मकान पर प्राथी का ही एक मात्र मालिकाना कब्जा व अधिकार चला आ रहा है जिसको रहन, बैय उपहार आदि करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने पुत्र मोह में आकर अपने खरीद शुदा मकान को उपहार स्वरूप प्रार्थी की पुत्र वधू अप्रार्थीया को तथा प्राथी के पुत्र अनिल कुमार को जर्ये रजिस्टर्ड उपहार पत्र देदिये थे। प्रार्थी ने अप्रार्थीया को गिफ्ट डीड जरयें रजिस्टर्ड दिनांक 09.07.13 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1193 में पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 20130096110 पर पंजीबद्ध किया था, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3083 के पृष्ठ संख्या 121 से 130 पर चस्पा किया गया। उक्त गिफ्ट डीड का पंजीयन उपपंजीयक कोटा के कार्यालय में करवाया गया था, तथा प्रार्थी ने , प्रार्थी के पुत्र अनिल कुमार के पक्ष में गिफ्ट डीड का पंजीयन दिनांक 09.07.13 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1193 में पृष्ठ संख्या 112 क्रम संख्या 2013009609 पर पंजीबद्ध किया था, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3083 के पृष्ठ संख्या 111 से 120 पर चस्पा किया गया। प्रार्थी के पुत्र अनिल कुमार का निधन हो चुका है। प्रार्थी द्वारा पुत्र मोह में गिफ्ट डीड करने के पश्चात् प्रार्थी फ्स्ट फ्लोर के उपर के तीन कमरो में तथा सैकिण्ड फ्लोर की एक रसोइ व लेट्रीन बाथरूम में अप्राथीया व प्रार्थी के स्वर्गीय पुत्र के साथ में निवास कर रहा था। प्रार्थी का सामान उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के अधिपत्य वाले कमरो में आज भी मौजूद है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी के कमरो पर जबरदस्ती बल पूर्वक कानून हाथ में लेकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ताला लगा दिया, अप्रार्थीया , प्रार्थी को उसके निवास करने वाले कमरो में आने नहीं दे रही है। और प्रार्थी को अन्यत्र निवास करना पड रहा है। प्रार्थी ने अप्रर्थीया को काफी समझाने का प्रयास किया किन्तु अप्रार्थीया के कान पर जूँ नही रेगी और आप्रार्थीया कमरो का ताला नही खोल रही है। अप्रार्थी का अरिहंत स्कूल के पास मकान है तथा अप्रार्थी सैकिन्ड ग्रेड भीमपुरा के स्कूल में अध्यापक है। अप्रार्थीया आये दिन प्रार्थी के साथ गाली गलोच व लडाई झंगडा करती चली आ रही है तथा प्रार्थी की कोई सार संभाल नही करती है ना ही प्रार्थी का भरण पोषण आदि हेतु कोई खर्चा इत्यादि ही देती है। जबकि उक्त दो मंजिला मकान प्रार्थी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीद कर धीरे धीरे निर्मित किया गया है। दिनांक 28.08.23 को प्रातः 7 बजे प्रार्थी की पुत्रवधू ने प्रार्थी को घर से बाहर निकाल दिया है। तब से ही अप्रार्थी को घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर होना पड रहा है। प्रार्थी इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना कैथून पर गया जिस पर कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी वरिष्ट नागरिक है प्रार्थी के पास स्वयं आय का कोई साधन नही है, तथा बीमार रहता है। अप्रार्थीया मकान को बलपूर्वक हडप करना चाहती है। तथा बलपूर्वक खाली करवाना चाहती है। अप्रार्थीया कानून हाथ में लेकर मकान को खाली करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थी काफी वृद्ध हो जाने के कारण कोई भी काम धंधा कर नही सकता है, प्रार्थी का स्वयं का खरीद शुदा मकान है, लेकिन अप्रार्थीया प्रार्थी को खाने पीने के लिये कुछ भी नही देती है, और प्राथी के साथ लडाइ झगडा मारपीट करने पर उतारू हो जाती है। प्रार्थी, अप्रार्थीया से भरण पोषण की राशि 10,000/– रूपये प्रतिमाह प्राप्त करने का अधिकार रखता है, प्रार्थी काफी वृद्ध है तथा चलने – फिरने मे असमर्थ है, प्रार्थी का इलाज भी अप्रार्थीया नही करवाती है, तथा प्रार्थी के बीमार हो जाने के उपरान्त उसे काफी शारीरिक वेतदना पहुँचाती है , प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
को.

को अधिकार है कि अप्रार्थीया से भरण पोषण की राशि 10,000/– प्रतिमाह प्राप्त करे। यदि वह उसे किसी प्रकार की कोई भरण पोषण की राशि अदा नही करे तो प्रार्थी के मकान से अप्रार्थीया को निकाला जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीया से प्रतिमाह 10000/– रूपये भरण पोषण हेतु राशि दिलवायी जावे। एवं मकान में शान्ति पूर्वक निवास करने दे तथा किसी भी कमरे पर ताला लगाकर प्रार्थी के प्रथम फ्लोर के तीन कमरे तथा द्वितीय फ्लोर की किचन व लेट्रीन बाथरूम पर ताला नही लगाये और उपरोक्त वर्णित परिसर के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपना भरण पोषण करने मे सक्षम है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की भरण पोषण राशि की आवश्यकता नही है। क्योकि प्रार्थी पूर्व मे प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर से रिटायर व्यक्ति है तथा वर्तमान मे प्रार्थी को 40,000/– रूपये पैन्शन प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रार्थी की मोरपा व केथून में कृषि आराजियात है। जिसका मुनाफा 5,00,000/– रूपये सालाना भी वर्षो से मिलता चला आ रहा है। तथा वर्तमान में प्रार्थी अपने बड़े पुत्र अरूण शर्मा के क्लिनिक पर प्रेक्टिस करते हैं जिससे भी वह 2000/– रूपेय प्रतिदिन आय अर्जित कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को अपने जमीन मे से कोई हिस्सा न देकर सम्पूर्ण हिस्सा अपने बड़े पुत्र अरूण शर्मा के बडे पुत्र अर्जुन शर्मा के नाम करवाकर फर्जी तरीके से जमीन को अपने पोते अर्जून शर्मा के नाम गिफ्ट डीड फर्जी तरीके से प्रार्थी उसके पुत्र अरूण शर्मा व पोत्र अर्जुन शर्मा द्वारा पडयन्त्र पूर्वक करवाली गयी। इसका पता अप्रार्थीया को चलने पर अप्रार्थीया द्वारा एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 उत्तर कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया। जो धारा 156(3) जाब्ता फौजदारी के तहत थाना केथून भिजवाया गया तथा दौराने जॉच के बाद यह तथ्य जानकारी में आया कि प्रार्थी, द्वारा अपनी पत्नी की फर्जी वसीयत अपने नाम बनवाकर उस आराजियात की गिफ्ट डीड जो कि कैथून मे स्थित है अपने पोते अर्जुन शर्मा के नाम करवादी, इसके संबंध मे एक मूकदमा प्रार्थी के नाम केथून थाने में दर्जे करवाया गया है। इसी बात से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में जिस मकान का उल्लेख किया गया है वह स्वयं प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह अपने पुत्र एवं पुत्र वधू के नाम से गिफ्ट डीड किया जा चुका है। तथा वर्तमान मे प्रार्थीया उसी मे अकेली निवास कर रही है। क्योकि अप्रार्थीया एक अकेली विधवा औरत है जिसके कोई पुत्र नही है। अप्रार्थीया द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किया जा चुका है तथा वह अपने ससूराल मे निवास कर रही है। प्रार्थी व उसका बडा पुत्र अरूण शर्मा व पोत्र अुर्जन शर्मा आये दिन आकर प्रार्थीया के केथून स्थित निवास पर लडाई झगडा व गाली गलोच करते है। उसके संबंध में प्राथर्थीया द्वारा केथून थाना केथून मे भी रिपोर्ट उपरोक्त व्यक्तियो के खिलाफ करवायी गयी है। उपरोक्त व्यक्ति प्राथीया का एक मात्र मकान हडप करना चाहते है इस कारण उपरोक्त कार्यवाही अप्रारथ्थीया द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध की गयी है। जबकि अप्रार्थीया वैधानिक रूप से कैथून स्थित मकान पर निवास कर रही है। प्रार्थीया के बडे पुत्र को भी प्रार्थी द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिये था, जो प्रार्थी द्वारा नही बनाया गया है । इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है। प्रार्थी अपना भरण पोषण करने मे सक्षम है तथा किसी भी प्रकार से वह अप्रार्थीया के उपर निर्भर नही है। प्रार्थी की मानसिकता अप्रार्थीया को उपरोक्त केसो में उलझाकर परेशान कर व मकान पर कब्जा करने की नियत से ही यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अप्रार्थीया को मिल सके वह भी प्रार्थी से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीया की ओर से जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी पूर्व मे प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर से रिटायर व्यक्ति है तथा वर्तमान मे प्रार्थी को 40,000/- रूपये पैन्शन प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रार्थी की मोरपा व केथून में कृषि आराजियात है। जिसका मुनाफा 5,00,000/- रूपये सालाना भी वर्षो से मिलता चला आ रहा है। परन्तु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीया के उक्त कथन का बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है। जिस कारण से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पास आय के पर्याप्त स्रोत है जिससे वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। अतः अप्रार्थीया से प्रार्थी को मासिक भरण पोषण राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में शान्ति पूर्वक निवास करने दे तथा प्रार्थी के किसी भी कमरे एवं किचन व लेट्रीन बाथरूम पर ताला नही लगाये और उपरोक्त वर्णित परिसर के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ......27/12/24...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अधिकारी ★ कोटा ★ उपखण्ड

व
रि
कै